पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक–प 16 ( )सामान्य प्रशासन/2022–23/ 16760 दिनांक: 21.03.23

खुली–निविदा सूचना संख्या 13/2022–23

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर हेतु निम्नानुसार निविदा अधिकृत भोजन आपूर्ति कर्ताओं/होटल /रेस्टोरेंट संचालकों से निर्धारित प्रपत्र में मोहरबन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

क.सं.	विवरण	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रपत्र विक्रय प्रारम्भ होने की तिथि	निविदा एवं डी0डी0 से जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं समय	तकनीकी बोली फार्म खोले जाने की तिथि एवं समय
1	भोजन एवं अल्पहार व्यवस्था	6,00,000/–	12000 (2 प्रतिशत)	500 रूपये	22.03.2023 को प्रातः 11.00 बजे से	27.03.2023 को दोपहर 4.00 बजे तक	28.03.2023 को प्रातः 11.00 बजे

1. बोली प्रतिभूति राशि 12000/– (MSME of Rajasthan 0.5 प्रतिशत अथवा 3000/–) एवं बोली फार्म शुल्क 500/– रू0 का डी0डी0/बैंकर्स चैक कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के नाम से देय होगा। उक्त भरी हुई दो लिफाफों में निविदा प्रपत्र डी0डी0/बैंकर्स चैक निर्धारित दिनांक 27.03.2023 को दोपहर 4.00 बजे तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय में जमा कराने होगें, इसके अभाव में बोली पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा फार्म खोले जाने की तिथि को राजकीय अवकाश घोषित हो जाये तो अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
2. बोली की विस्तृत शर्तें www.shekhauni.ac.in से देखी जा सकती है अथवा पोर्टल http://sppp.raj.nic.in पर भी देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

कुलसचिव

क्रमांक–प 16 ( )सामान्य प्रशासन/2022–23/ 16761 – 763 दिनांक: 21.03.23

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1–कुलपति सचिवालय।

2–नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा

3– नोडल अधिकारी को पोर्टल http://sppp.raj.nic.in पर अपलोड हेतु।

4–गार्ड पत्रावली।

कुलसचिव

PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA SHEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR (RAJ.)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

Tender for Rate Contract for Food & Breakfast

1. N.I.T NO. : 13/2022-23
2. Estimate Cost : 6.00 Lacs
3. Bid Security : Rs. 12000 /-
4. Tender Fees : Rs. 500/-
5. Period of Work : FY 2022-23 & 2023-24
6. Due Date for:-

1-Download of Bid : 22-03-2023 time 11.00 am

2-Last Date of Submission of Bid : 27-03-2023 Up to 04.00 pm

3-Date of Opening Technical Bid : 28-03-2023 At 11.00 am

7. Banker Cheque/DD No.....Date.....By which Tender Fees Deposited
8. Banker Cheque/DD No.....Date.....By which Bid Security Deposited
9. Name & Complete Address of Tenderer: -

.....

.....

.....

10. Mobile No.....
11. Email address .....
12. Constitution of Firm Proprietorship/Partnership/Company .....

Signature of Bidder with Seal

निविदा प्रपत्र

कार्य का नाम : तृतीय दीक्षान्त समारोह एवं आगामी कार्यक्रमों हेतु अल्पाहार व भोजन की व्यवस्था हेतु वार्षिक दर संविदा।

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म /व्यापारी का नाम व पूर्ण पता (रजिस्ट्रेशन सलग्न) : .....
2. मोबाईल नम्बर/दुरभाष संख्या : .....
3. आयकर स्थायी खाता संख्या (रजिस्ट्रेशन सलग्न) : .....
4. जीएसटी पंजीकरण संख्या व वर्ष (रजिस्ट्रेशन सलग्न) : .....
5. प्रतिभूति राशि विवरण (Bid security) : रुपये .....बैंकर चैक/डीडी सं.....दिनांक ..... (सलग्न)
6. निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण .....दिनांक.....अथवा डीडी/बैकर्स चैक संख्या ..... दिनांक.....द्वारा जमा करा दी गई ।(प्रति सलग्न)
7. खादय सुरक्षा लाईसेन्स एंव खादय सुरक्षा रजिस्ट्रेशन संख्याः–..... (सलग्न)
8. सलग्न शर्ते स्वीकार होने पर सभी पृष्ठो पर हस्ताक्षर कर सलग्न की जावें।
9. हमारे द्वारा अंकित की गयी दरें 31 मार्च 2024 हेतु मान्य होगी एवं पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
10. मै राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 की पूर्ण पालना करने हेतु बाध्य रहूगां, चाहे उसकी पूर्ण शर्ते बिड़ प्रपत्र में अंकित की गयी है अथवा नही की गई है।
11. एल 1 का निर्धारण समस्त श्रेणियों में दी गई प्रति सहभागी दर का जोड कर किया जावेगा। अतः उक्त निविदा हेतु एल 1 एक ही होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

:– भोजन हेतु बोली की शर्तें:–

1. खुली–बोली बाबत तकनीकी बिड एंव वित्तीय बिड अलग–अलग प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा जारी निविदा हेतु आवश्यक समस्त दस्तावेजो की कॉपी फर्म द्वारा प्रथम लिफापें में बन्द कर प्रस्तुत करनी होगी एंव वित्तीय बिड में दरें अंकित कर द्वितीय लिफापे में प्रस्तुत करनी होगी ।
2. सर्वप्रथम तकनिकी बिड खोली जावेगी । बिड में सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बिड निविदा खोली जावेगी।
3. बोली दाता भोजन की व्यवस्था करने वाले अनुभवी व्यक्तियों/संस्थाओ/फर्म/अधिकृत भोजन आपूर्ति कर्ताओं द्वारा ही भरी जाये।
4. बोली कार्यालय द्वारा जारी वित्तीय निविदा प्रपत्र बोली में ही स्वीकार की जायेगी।
5. तकनिकी निविदा के साथ चैकलिस्ट के समस्त दस्तावेज अपने हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होगें तथा दिनांक 27.03.2023 को दोपहर 4.00 बजे तक समस्त डीडी/बैंकर्स चैक मय ऐफिडेविट कार्यालय में जमा कराने होगें ।
6. भोजन व्यवस्था हेतु वैध अनुज्ञाधारी होना चाहिए। छायाप्रति प्रस्तुत करनी हैं। साथ ही उसे विभिन्न विभागों में होने वाने प्रशिक्षणों मे भोजन व्यवस्था संबधी यदि अनुभव हो तो उसका प्रमाण पत्र साथ में प्रस्तुत किया जावें।
7. भोजन व नाश्ता अच्छी किस्म के थर्मोकोल/पेपर पेकिंग या साफ सुथरे बर्तनों में विश्वविद्यालय से आदेशित स्थान पर बोलीदाता को अपने स्वयं के खर्च पर आपूर्ति करना होगा तथा खाने के वितरण की व्यवस्था भी बोलीदाता को ही करनी होगी।
8. कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् प्रतिभागियों से भोजन संबंधी फीडबेक लिया जायेगा, फीडबेक प्रपत्र के विश्लेषण में यदि 50 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागियों द्वारा असंतोष व्यक्त किया जाता है तो निविदा फर्म को चेतावनी पत्र जारी किया जायेगा एवं आगामी कार्यक्रमों में पुनरावर्ती होने पर बिल से 20 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी तथा कटौती पश्चात् भी फर्म द्वारा भोजन स्तरहीन पायी जाती है तो निविदा समिति की अनुशंषा पर निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
9. फर्म द्वारा आदेशानुसार समय एंव तिथि अनुसार अल्पहार व भोजन की व्यवस्था करनी होगी। स्तरहीन व्यवस्था करने पर राशि का भुगतान नही किया जायेगा तथा विभागीय स्तर से अन्य व्यवस्था की जायेगी। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त खर्चा सम्बन्धित फर्म से वसूल किया जायेगा।
10. भोजन उच्च गुणवता का होना चाहिए। दूषित भोजन के कारण होने वाली किसी असुविधा के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. दरें पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को दी जानी है, तथा सभी अनुषांगिक प्रभारों को शामिल (जी.एस.टी. सहित) करना चाहिए। कोई अन्य कर या प्रभार का भुगतान नही किया जायेगा।
12. वारण्टी एंव गारण्टी :– बोलीदाता यह गारण्टी देगा कि भोजन व्यवस्था में गुणवत्ता बनी रहेगी तथा सहभागियो द्वारा भोजन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का असंतोष अथवा असंतुष्ट होने पर फर्म का अनुबंध बिना कोई कारण बताये तुरन्त प्रभाव सें निरस्त किया जा सकेगा।
13. भोजन की व्यवस्था पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में करनी होगी जिसकी सूचना कार्यादेश में दी जायेगी।
14. भोजन की व्यवस्था की दर प्रस्तुत करने वाली फर्म की यह जिम्मेदारी होगी कि भोजन के दौरान सहभागियों को सही रूप में भोजन वितरण करना सुनिश्चित करें। उक्त दोनो बिन्दुओं में किसी प्रकार का समझौता नही किया जायेगा तथा उल्लंघन होने पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास रहेगा एंव नियमानुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

15. बोली सूचना में दर्शित मात्रा से कम अथवा अधिक के लिए आदेश दिया जाता है तो तदनुसार भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए फर्म बाध्य होगी।
16. सामग्री के पैकिग एंव कवरिंग का अलग सें कोई चार्ज देय नही होगा। दरे समस्त व्ययों एंव करो सहित ही भरी जावें।
17. कार्यस्थल पर 18 वर्ष से कम आयु का वर्कर नही होना चाहिए।
18. किसी भी बोली को स्वीकार करने /अशों में स्वीकार करने/ अस्वीकृत करने अथवा रदद् करने का अधिकार क्रेता अधिकारी में निहित है। किसी भी न्यूनतम दर वाली बोली को स्वीकार करना सरकार के लिए आवश्यक नही है।
19. किसी विवाद की स्थिति में शर्ते/नियम वें ही मान्य होगे जो सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एंव नियम 2013 के अन्तर्गत है।
20. बोलीदाता को एक शपथ पत्र स्वयं के लैटरहैड पर प्रस्तुत करना होगा कि सरकारी विभागों द्वारा कभी भी फर्म को काली सूची में नही डाला गया है तथा फर्म की प्रतिभूति राशि कभी भी जब्त नही की गयी है तथा किसी भी सरकारी विभाग द्वारा फर्म का कार्यादेश फर्म के कार्य न करने की शिकायत/गलत आचरण के कारण अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व रद्द नही किया गया है। यदि ऐसे कोई कारण है तो फर्म को उसका उल्लेख करना आवश्यक होगा, फर्म द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराने पर फर्म की अमानत राशि समपृहत कर ली जावेगी तथा फर्म का कार्यादेश व अनुबन्ध रद्द कर दिया जायेगा।
21. सफल बोलीदाता को आदेश प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर 500 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर एस.आर.–17 फॉर्मेट में करार नियमानुसार निष्पादित करना होगा।
22. बोली सूचना में उल्लेखित मांग को कम या ज्यादा करने का अधिकार क्रेता अधिकारी के पास निहित है।
23. बोलीदाता को बोली के साथ अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत दर से अमानत राशि जमा कराना होगी। अमानत राशि बैकर चैक/डी.डी. से जमा करायी जावेगी। इस अमानत राशि का निम्न परिस्थितियों में समपृहत किया जा सकेगा।
    (1) जब बोलीदाता बोली खोले जाने के पश्चात किन्तु बोली स्वीकृति से पूर्व बोली वापिस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
    (2) जब बोलीदाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो को सम्पादित नही करता हैं।
    (3) जब प्रदाय आदेश दिये जाने के पश्चात बोलीदाता कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नही करता है।
    (4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसारमदो का प्रदाय नही करता है।
24. सफल बोलीदाता को जिस सामान के लिए बोलीयां स्वीकार की गई है उनके मुल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति, बोली स्वीकार किये जाने की सूचना से 7 दिन के भीतर जमा करानी होगी। बयाना राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति राशि किसी भी दशा में कम नही की जायेगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नही होगा। प्रतिभूति बैंक ड्राफट के रूप में स्वीकार की जायेगी। प्रतिभूति राशि सन्तोषजनक दर–संविदा पूर्ण करने के दो माह के बाद में संतुष्ट हो जाने पर बोलीदाता के विरूद्व कोई बकाया देय नही तब प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।
25. नियमानुसार सप्लाई असंतोषजनक होने पर, संविदा शर्तो का उल्लंघन करने पर, करार पत्र को पुर्ण करने में असफल रहने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को समपृहत कर लिया जायेगा।
26. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा।
27. यदि किसी वस्तु/सामग्री के लिए निर्धारित नियमानुसार लाईसेन्स आवश्यक हो तो बोलीदाता के पास वांच्छित लाईसेन्स होना चाहिये। अन्यथा बोली मान्य नही होगी।
28. सशर्त बोली स्वीकार नही की जायेगी।

29. किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्युनतम दर की बोली नही है को स्वीकार करने/बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली की हो उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या फर्म/सप्लायर्स से अधिक को स्टोर्स की मदो की वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
30. भोजन की व्यवस्था खुली अथवा पैकिग में आदेशानुसार की जायेगी व समय–समय पर कमेटी द्वारा भोजन की जॉच की जायेगी।
31. भुगतान हेतु बिल बैचवार प्रस्तुत करना होगा। विवादस्पद मदो के सम्बन्ध में बिल की राशि को 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक रोका जा सकेगा तथा उस विवाद का निपटारा होने के बाद उसका भुगतान किया जायेगा।
32. अनुमोदित बोलीदाता अपनी सप्लाई की संविदा या उसके किसी भाग को अन्य किसी फर्म को सबलेट नही करेगा।
33. अनुमोदित दरों पर सप्लाई का आदेश आवश्यकतानुसार समय–समय पर दिया जायेगा।
34. यदि बोली सूचना में अथवा आदेशित मात्रा में जैसी भी स्थिति हो दर्शित मात्रा से कम या अधिक के आदेश दे दिये जाते है, तब भी बोलीदाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु आबद्व होगा। बोली में दी गई दरों और शर्तों पर पुनरादेश भी दिया जा सकेगा। यदि बोलीदाता ऐसा करने में विफल रहता है तो विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी को यह छूट होगी कि वह अतिशेष प्रदाय की व्यवस्था सीमित बोली से या अन्यथा रूप सें कर और उपगत अतिरिक्त मूल्य बोलीदाता से वसूली योग्य होगा।
35. विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी निविदत्त वस्तुओं में सें किसी वस्तु के प्रदाय का आदेश नही करता है अथवा बोली प्रारूप में वर्णित मात्रा सें कम क्रय करता है तो बोलीदाता मुआवजा हेतु किसी दावे का हकदार नही होगा।
36. बोली कुलसचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर के नाम से सम्बोधित की जायेगी। प्राप्त बोलीओं कें किसी भी भाग का पूर्ण/आंशिक रूप से या सम्पूर्ण बोली/किसी एक बोली के किसी भाग को स्वीकार/अस्वीकार करने के समस्त अधिकार विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
37. समस्त विधिक कार्यवाही जिला मुख्यालय स्थित सक्षम न्यायालय में ही प्रवृत की जावेगी।
38. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से कुलपति द्वारा गठित कमेटी को अविलम्ब सूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्ततन संविदा/बोली के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एंव उसके पूर्ववती सदस्यों को मुक्त नही किया जावेगा।
39. संविदा के सम्बन्ध में नई फर्म में तब तक कोई/नई भागीदार स्वीकार नही किया जावेगा । जब कि वह/वे समस्त निबन्धनों और शर्तों का पालना करने हेतु सहमत न हो और जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा गठित कमेटी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दे। अभिस्वीकृति हेतु सफल बोलीदाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जावेगा और उससे वे सभी आबद्व होगे और वह सविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
40. उक्त वर्णित दरें 31 मार्च 2024 तक कें लिए विधि मान्य है इसे पारस्परिक सहमति से बढाया जा सकता है।
41. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहतः–

(1) यदि दर सविदा धारक,दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत सें कम कीमत पर समान माल, संकर्मो या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता है/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विशय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।

42. इस बोली की जानकारी वेब पोर्टल http:// sppp.raj.nic.in एवं www.shekhauni.ac.in पर भी उपलब्ध है।
43. टीडीएस व अन्य करो की कटौती नियमानुसार होगी।
44. वित्तीय बोलियो में अंकगणितीय त्रुटियों मे सुधार ।

    (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति मे स्पस्ट गलती रह गयी है। ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार जायेगा।

    (ख) यदि योग के घटको को जोडने या घटाने के कारण योग मे त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होगे और योग में सुधार किया ।

    (ग) यदि शब्दों और अकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों मे व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीयत्रुटि से संबधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड(क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों मे अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।
45. वित्त विभाग राजस्थान द्वारा प्रसारित Circulear No- 3/2013, Date – 04.02.2013 की विभिन्न शर्ते उक्त बोली प्रपत्र मे संलग्न है को ध्यानपूर्वक पढे व उसका अनुसरण करे।
46. खाने हेतु सब्जिया फ्रेश होनी चाहिये साथ ही पकाने हेतु शुद्व वनस्पति तेल व शुद्व घी का उपयोग किया जाना चाहिये। किसी भी समय खाध निरीक्षक द्वारा भोजन के नमूने लिये जा सकते है और भोजन के नमूने को प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा जा सकता है नमूने फेल होने की स्थिती में बोलीदाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
47. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को कुलपति को भेजा जायेगा। जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ के रूप में उसका निर्णय अंतिम होगा।
48. यदि वस्तु/सामग्री के लिए निर्धारित/नियमानुसार लाईसेन्स आवश्यक होतो बोलीदाता के पास वांछित लाईसेन्स होना चाहिए। अन्यथा बोली मान्य नही होगी।
49. भोजन की व्यवस्था की जॉच कमेटी द्वारा समय–समय पर जॉच की जायेगी।
50. बोलीदाता को बोली के साथ आयकर स्थाई खाता सं. (पेन कार्ड) की छाया प्रति, बैक का नाम एंव आई.एफ. सी. कोड एंव बैक खाता सं. का विवरण (पासबुक के मुख्य पृष्ठ की प्रति संलग्न करें) बिक्री कर (मू.प.क.) चूकता प्रमाण पत्र, यदि फर्म सेवाकर के दायरे में आती है तो सम्बन्धित विभाग में पंजीयन के प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।
51. भोजन व अल्पाहार व्यवस्था हेतु बोलीदाता को अपने स्तर पर समस्त आवश्यक सामग्री एंव दक्ष कार्मिकों की व्यवस्था करनी होगी।
52. प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्देशित निर्धारित समयविधि में भोजन एंव अल्पहार व्यवस्था नही किये जाने की स्थिति में कार्य की कुल लागत के 10 प्रतिशत की सीमा तक शास्ति (समिति द्वारा निर्धारण उपरान्त) लागू होगी।
53. एल 1 का निर्धारण समस्त श्रेणियों में दी गई प्रति सहभागी दर का जोड कर किया जावेगा। अतः उक्त निविदा हेतु एल 1 एक ही होगा।
54. नियम 1 से लेकर 53 तक समस्त शर्ते समस्त परिशिष्ट इस बोली में अक्षरशः लागु होगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा प्रपत्र

कार्य का नाम : तृतीय दीक्षान्त समारोह 2023 एवं अन्य आगामी कार्यक्रमों हेतु अल्पाहार व भोजन की व्यवस्था हेतु वार्षिक दर संविदा।

वित्तीय निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म : .....
   /व्यापारी का नाम व पूर्ण पता : .....
2. मोबाईल नम्बर/दुरभाष संख्या : .....

TO BE FILLED UP BY THE TENDERING AGENCY

क्र. सं.	विवरण		इकाई	निविदादाता द्वारा प्रति सहभागी के लिये दी जाने वाली दरें राशि रूपयों में सभी करो सहीत	
				दर अंको में	दर शब्दो में
1	नाश्ता	1. समोसा 2. कचौरी 3. ब्रेड पकौड़ा मय चटनी। 4. खमण	प्रति नग प्रति नग प्रति नग प्रति किलो ग्राम		
2	भोजन	चार तवा रोटी, मिक्स वेज सुखी सब्जी, मीर्च, सलाद, मिठाई लड्डू देशी घी एक/गुलाब जामून के दो नग	प्रति डाईट		
3	स्पेशल नाश्ता	1. वेज सेण्डविच 2. वड़ा/इडली–साम्भर, 3. आलू पराठा, दही, अचार,	प्रति नग प्रति नग प्रति नग		
4	विशेष डाईट	चपाती : तन्दूरी रोटी एवं तवा चपाती (दो तरह की) सब्जी दो तरह की : (पनीर व सिजनल) दाल फ्राई, रायता (वेज/बून्दी), वेज पुलाव/जीरा राईस, मिठाई (एक पीस गुलाब जामुन/ लड्डू देशी घी), ग्रीन सलाद			
5	कोल्ड ड्रिंक्स (पेप्सी/लिमका/थम्बसब /फेन्टा)	200 एम.एल.			
		500 एम.एल.			
		1000 एम.एल.			

		2000 एम.एल.			
6	मिठाईयां	1. दिल खुसाल देशी घी 2. गुलाब जामुन देशी घी 3. काजू कतली 4. राजभोग 5. रसमलाई	प्रति किलो प्रति किलो प्रति किलो प्रति किलो प्रति किलो		
7	वेज सूप/टमाटो सूप	125 एम.एल	प्रति नग		
8	लस्सी	लस्सी 250 एम.एल.	प्रति नग		

नोट : खाना पैक्ड थाली में विश्वविद्यालय में मांग के अनुसार उपलब्ध करवाना होगा। दर अंकित करते समय विशेष ध्यान रखें कि कोई कटिंग नही हो यदि कोई कटिंग हो गयी होतो उस पर लघु हस्ताक्षर करें, दर सुस्पष्ट एवं ईकाई के आधार पर दी जावें। दशमलव के पश्चात दो अंको तक की दर मान्य होगी।

1. एल 1 का निर्धारण समस्त श्रेणियों में दी गई प्रति सहभागी दर का जोड कर किया जावेगा। अतः उक्त निविदा हेतु एल 1 एक ही होगा।
2. मैं/हमने उक्त निविदा की संलग्न शर्तें व नियमों का भली–भांती पूर्वक अध्ययन कर लिया है व उपरोक्त वर्णित समस्त शर्तों व नियमों को स्वीकार करता हूं/करते है।
3. मै/हम उपरोक्त कार्य के लिये हमारी फर्म द्वारा दी गयी दरों पर (सभी करों व खर्चों सहित) विश्वविद्यालय में आपूर्ति करने का कार्य करने को तैयार/सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

बिड़दाताओं द्वारा घोषणा(देखिए नियम 48–VII)

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैकि मैने/हमने भोजन व्यवस्था कार्य के लिए बोली प्रस्तुत की है, हमारी फर्म सम्बन्धित विभाग में पंजीकृत है, जिसके प्रमाण पत्र संलग्न है। यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जायेगा तथा बिड को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जायेगा साथ ही यह भी सत्यापित करता हूं कि मेरी फर्म को किसी भी सरकारी विभाग व अन्य संस्थानों द्वारा ब्लेक लिस्टेड नही किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम.....

PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA SHEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR (RAJ.)

Annexure A : Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

a. Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b. Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c. Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d. Not misuse any information shared between the procuring Entry and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e. Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
f. Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
g. Disclose conflict of interest, if any; and
h. Disclose any previous transgression with any Entry in India or any other country during the last three years of any debarment by any other procuring entry.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that Could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulation.

A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a) Have controlling partners/ shareholders in common; or
b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c) Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d) Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about influence on the Bid of another Bidder or influence the decision of the procuring Entry regarding the bidding process; or
e) The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f) The Bidder of any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Service that are the subject of the Bid; or
g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature of bidder with seal

PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA SHEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR (RAJ.)

Annexure B : Declaration by the bidder regarding Qualifications
Declation by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ..... For procurement of ..... in response to their Notice Inviting Bids No.....

Dated..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act,2012, that:

1. I/We process the necessary professional technical, Financial and managerial resource and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry.
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent in receivership bankrupt or being would up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Ruies and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA SHEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR (RAJ.)

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Authorised BOM Member

The designation and address of the Second Appellate Authority is Vice-chancellor

Filling appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision action or omission of the Procuring Entry is in contravention to the provisions of the provisions of the Act or the Rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he false aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entry evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be field only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(1) The officer to whom an appeal is field under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the data of the data of the appeal.

(2) If the officer designated under par (1) fails to dispose of the appeal filed with in the period specified in para (2, or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entry is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entry, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(3) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entry relating to the following matters namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limited participation of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provision of confidential

(5)Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeaEveryl.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filling appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fell shall be paid in the form of bank demand draft of banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate, as the case may be, upon filling of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) pressure or inspect documents relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of bidder with seal

PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA SHEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR (RAJ.)

Form No. 1

(see 83)

Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency In Public Procurement Act, 2012

Appeal No ..... of .....

Before the . .....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant.;
   (i) Name of the appellant;
   (ii) Residential Address :
2. Name and address of the respondent (s);
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the office /authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by Will& the appellant; is aggrieved
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal;
6. Grounds of appeal;

.....

.....

..... (supported by an affidavit)

7. .....

.....

.....

Place .....

Dated .....

Appellant' Signature

seal of the firm

Signature &

PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA SHEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR (RAJ.)

Annexure D:

Additional condition of contact

1. **Correction of arithmetical errors**
   Provided that a financial Bid is substantantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evolution of financial Bids on hte following basis:

(a) If there is a discrepancy between the init price and the total price is obtained by multiplying the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring Entity there is on obvious misplacement of the decimal the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

(ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or suvvtraction of subtotals, the s

Subtotals shall prevail and the total shall be corrected: and

(iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid security shall be forfeited of its Bid securing declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**
   I. At the time of award of contract, the quantity of goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase of decrease shall nor exceed twenty percent of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or jother terms and condition of Bid and the condition of contract.
   II. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstance, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.
   III. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.
3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**
   As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital natute. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidden in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose is accepted.

Signature of bidder with seal